(099)/7/2023-आवास एवं शहरी नियोजनअनुभाग-6-आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध / ई-मेल

प्रेषक,

डा0 नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1	आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।	2	निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ0प्र0 लखनऊ।	3	उपाध्यक्ष / अध्यक्ष, समस्त विकास / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4	नियत प्राधिकारी / जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।	5	सचिव, रेरा, उ0प्र0।	6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली।
7	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन, लखनऊ।	8	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।	9	निदेशक, आवास बन्धु।
10	सदस्य सचिव स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ।				

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 लखनऊःदिनांक / 4 जून, 2024

विषयः सचिवालय एवं सचिवालय से सम्बद्ध निदेशालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, जनपद स्तरीय कार्यालयों इत्यादि में ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पूर्व प्रेषित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके माध्यम से उत्तर प्रदेश सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई-ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 30.09.2024 तक अपने कार्यालय से संबंधित समस्त पत्रावलियों का डिजिटाईजेशन / स्कैनिंग कराते हुए शतप्रतिशत कार्य ई-आफिस के माध्यम से कराने तथा कृत कार्यवाही की अद्यतन सूचना आवास एवं शहरी नियोजन विभाग हेतु शासन स्तर पर नामित नोडल अधिकारी श्री महेन्द्र प्रसाद भारती, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को दिनांक 18.06.2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Nitin Ramesh Gokarn
(डा0 नितिन रमेश गोकर्ण)
Date: 14-06-2024 15:44:54